भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1919
दिनांक 01 अगस्त, 2023 / 10 श्रावण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

वन नेशन वन यूनिफार्म

†1919. श्री प्रतापराव जाधवः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार 'वन नेशन वन यूनिफॉर्म' की अवधारणा के माध्यम से देश में पुलिस और सुरक्षा बलों के ड्रेस कोड में एकरुपता लाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में आ रही चुनौतियों का अध्ययन किया है और इसके लिए कोई रुपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का पूरे देश में एक समान कानून और व्यवस्था नीति लागू करने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए पुराने कानूनों की समीक्षा करने और उनमें संशोधन करने तथा मानव आसूचना को सुदृढ़ करने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): दिनांक 27-28 अक्टूबर, 2022 को गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर' के दौरान, राज्यों को यह सुझाव दिया गया कि "वन नेशन वन यूनिफार्म" की अवधारणा पर विचार किया जाए, ताकि पुलिस की एक विशिष्ट पहचान बनाई जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश भर में आम नागरिक पुलिस कार्मिकों की आसानी से पहचान कर लें।

(ग) और (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची- II (राज्य सूची) के तहत "पुलिस" राज्य का विषय है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास स्वयं द्वारा निर्धारित रंग वाली विशिष्ट प्रतीक चिन्ह (एंबलम) और बैज आदि के साथ पुलिस वर्दी हैं। सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से इस संबंध में अपनी टिप्पणियां/सुझाव देने का अनुरोध किया गया है। अभी तक, 24 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की प्रतिकिया प्राप्त हुई है। इसके अलावा, वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म के विषय पर विचार करने और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों तथा कुछ वस्त्र अनुसंधान संस्थानों, ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड एवं भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) में एक समिति का गठन किया गया है।

(ङ) और (च): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची- II (राज्य सूची) के तहत "पुलिस" राज्य का विषय है। राज्यों के पुलिस बल इस मामले में मौजूदा कानूनी एवं संस्थागत ढांचे के अंतर्गत कार्य करते हैं। पुलिस बल को कुशल एवं सक्षम बनाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है तथा लागू कानूनों के तहत जांच, पंजीकरण और अभियोजन सहित कानून-व्यवस्था बनाए रखना संबंधित राज्यों की जिम्मेदारी है। कानून में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है।

******